न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2023/45
दायरा तिथि : 15.02.2023
आदेश तिथि : 21-01-2025
प्रार्थीगण :–

1. श्री अजीतसिंह पुत्र बलवंतसिंह जाति राजपूत निवासी श्री सेला तहसील बाली जिला पाली (राज.)
2. मदनकंवर पत्नि सौभागसिंह जाति राजपूत निवासी श्री सेला तहसील बाली जिला पाली (राज.)
3. सोनाराम पुत्र भुराराम जाति मेघवाल निवासी खौड तहसील पाली जिला पाली राज.

ब नाम

अप्रार्थीगण :–

1. अमरसिंह पुत्र पेपसिंह
2. महेन्द्रसिंह पुत्र पेपसिंह
3. मोहनकंवर पत्नि पेपसिंह जाति राजपूत श्री सेला तहसील बाली जिला पाली (राज.)
4. राज्य सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश दिनांक: 21-01-2025

प्रार्थीगण ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम जादरी पटवार हल्का बेडल तहसील बाली के खसरा नंबर 93 रकबा 1.5100 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थीगण की भूमि ग्राम जादरी पटवार हल्का बेडल तहसील बाली के खसरा नंबर 50, 51, 51/1 की भूमि में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की है। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt /7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, खुडाला ने जांच कर पत्रांक/राजस्व/2023/79 दिनांक 13.04.2023 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। वकील अप्रार्थी द्वारा तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर आपत्ति करने तहसीलदार बाली से पुनः जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, खुडाला ने पुनः जांच कर पत्रांक/राजस्व/2024/2543 दिनांक 12.11.2024 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक खुडाला पुनः जांच रिपोर्ट अनुसार :–

3

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी बाली

1. यह है कि प्रस्तावित रास्ता उपलब्ध समस्त रास्तो के विकल्पों में से निकटतम रास्ता है।
2. यह है कि भू.अ.निरीक्षक, खुडाला की जांच रिपोर्टनुसार खातेदार को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है तथा अन्य कोई विकल्प नही है।

पेज लगातार..........02

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gems No 2023/45
अगतान अजीतसिंह वगैरह बनाम अमरसिंह वगैरह
अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

3. यह है कि ग्राम जादरी में रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है –

क्र. सं.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	93/491	2.27 हैक्टर	बारानी दोयम	186x4= 744 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार
2	93/2	0.89 हैक्टर	बारानी दोयम	55x4= 220 वर्गमीटर	1. अमरसिंह पुत्र पर्बसिंह हि. 1/3 2. महेन्द्रसिंह पुत्र पर्बसिंह हि. 1/3 3. मोहनकंवर पत्नि पर्बसिंह हि. 1/3 जातिमण राजपूत सा. सेला खातेदार
3	60	4.4000 हैक्टर	बारानी दोयम	137x4= 548 वर्गमीटर	1. अमरसिंह पुत्र पर्बसिंह हि. 1/4 व 1/6 2. महेन्द्रसिंह पुत्र पर्बसिंह हि. 1/4 व 1/6 3. मोहनकंवर पत्नि पर्बसिंह हि. 1/6 जातिमण राजपूत सा. सेला खातेदार

4. यह है कि अमरसिंह पुत्र पर्बसिंह वगैरा के पूर्व में प्रस्तावित रास्ता बीच में खातेदारी होने से खसरा नंबर 93/2 के स्थान पर 93/491 में प्रस्तावित किया है।
5. यह कि प्रस्तावित भूमि पंजीयन रिकॉर्ड अनुसार डी.एल.सी. दर 1,79,002 रु./– रूपये प्रति हैक्टर है।
6. प्रस्तावित रास्ते की भूमि में किसी प्रकार का कोई भी निर्माण/वृक्ष नहीं है एवं न ही वृक्ष इत्यादि की क्षति है।

प्रकरण में अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से वकील श्री गणपतलाल चौधरी ने वकालतनामा मय आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया। वकील प्रार्थी व वकील अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रिकॉर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम जादरी पटवार हल्का बेडल तहसील बाली के खसरा नंबर 93 रकबा 1.5100 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए वर्तमान में कोई रिकॉर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों से यह प्रमाणित नहीं है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक पहुंच के लिये वर्तमान में कोई रिकॉर्डेड रास्ता उपलब्ध है। इस संबंध में धारा 251 ए के प्रावधानों के अनुसार इन बिन्दुओं पर ही प्रकरण का निस्तारण किया जाना निर्धारित है। 1. वैकल्पिक मार्ग का अभाव 2. सुविधा के लिये नहीं होकर आवश्यकता हो 3. न्यूनतम मार्ग हो। जिससे विधिक प्रावधानों के अनुसार अप्रार्थी पक्ष की आपत्तियां सारहीन होने से खारिज की जाती है। प्रार्थी के आवागमन के लिये वर्तमान में रास्ता उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार, बाली द्वारा जांच के पश्चात अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2024/2543 दिनांक 12.11.2024 से नया रिकॉर्डेड रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायसंगत है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध में राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमांकप.3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशों/शक्तियों के अनुसरण में प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम जादरी पटवार हल्का बेडल तहसील बाली के खसरा नंबर 93 रकबा 1.5100 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्धता नहीं होने से अप्रार्थीगण की भूमि ग्राम जादरी पटवार हल्का बेडल तहसील बाली के खसरा नंबर 93/451, 93/2 व 60 रकबा क्रमशः 2.27 हैक्टर, 0.89 हैक्टर व 4.4000 हैक्टर में से 744+220+648=1612 वर्गमीटर रास्ता हेतु नियमों के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते है।

उप-खण्ड अधिकारी, जिला-पाली (राज.)

2

सहायक कलक्टर एवं मजि.
उपखण्ड अधिकारी, बाली

पेज लगातार..........03

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gems No 2023/45
अनवान अजीतसिंह वगैरा बनाम अमरसिंह वगैरा
अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :-

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षेत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 1,79,002 /-रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
93/451	2.27 हैक्टर	186X4= 744 वर्गमीटर	18	13392 X2=26784	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार
93/2	0.89 हैक्टर	55X4= 220 वर्गमीटर	18	3960 X2=7920	1. अमरसिंह पुत्र पेपसिंह हि. 1/3 2. महेन्द्रसिंह पुत्र पेपसिंह हि. 1/3 3. मोहनकंवर पत्नि पेपसिंह हि. 1/3 जातिगण राजपूत सा. सेला खातेदार
50	4.4000 हैक्टर	137X4= 548 वर्गमीटर	18	9864X2=19728	1. अमरसिंह पुत्र पेपसिंह हि. 1/4 व 1/6 2. महेन्द्रसिंह पुत्र पेपसिंह हि. 1/4 व 1/6 3. मोहनकंवर पत्नि पेपसिंह हि. 1/6 जातिगण राजपूत सा. सेला खातेदार

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि 26784(राज्य सरकार)+27648(निजी खातेदार) =54,432/- (अक्षरे चौपन हजार चार सौ बत्तीस रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर अप्रार्थीगण निजी खातेदार/राज्य सरकार को अदा की जायेगी। प्रतिकर राशि निजी खातेदार द्वारा नहीं लिये जाने की दशा में तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली व निरीक्षक भू-अभि. खुडाला द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

(दिनेश विश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली
दिनांक : 21-01-2025

क्रमॉक/कोर्ट/2024/ 58-62
प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः-

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू0अ0 खुडाला
3. पटवारी हल्का, बेडल
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक श्री अजीतसिंह पुत्र बलवंतसिंह जाति राजपूत निवासी श्री सेला तहसील बाली जिला पाली (राज.) को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, बाली
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली

Scanned with CamScanner

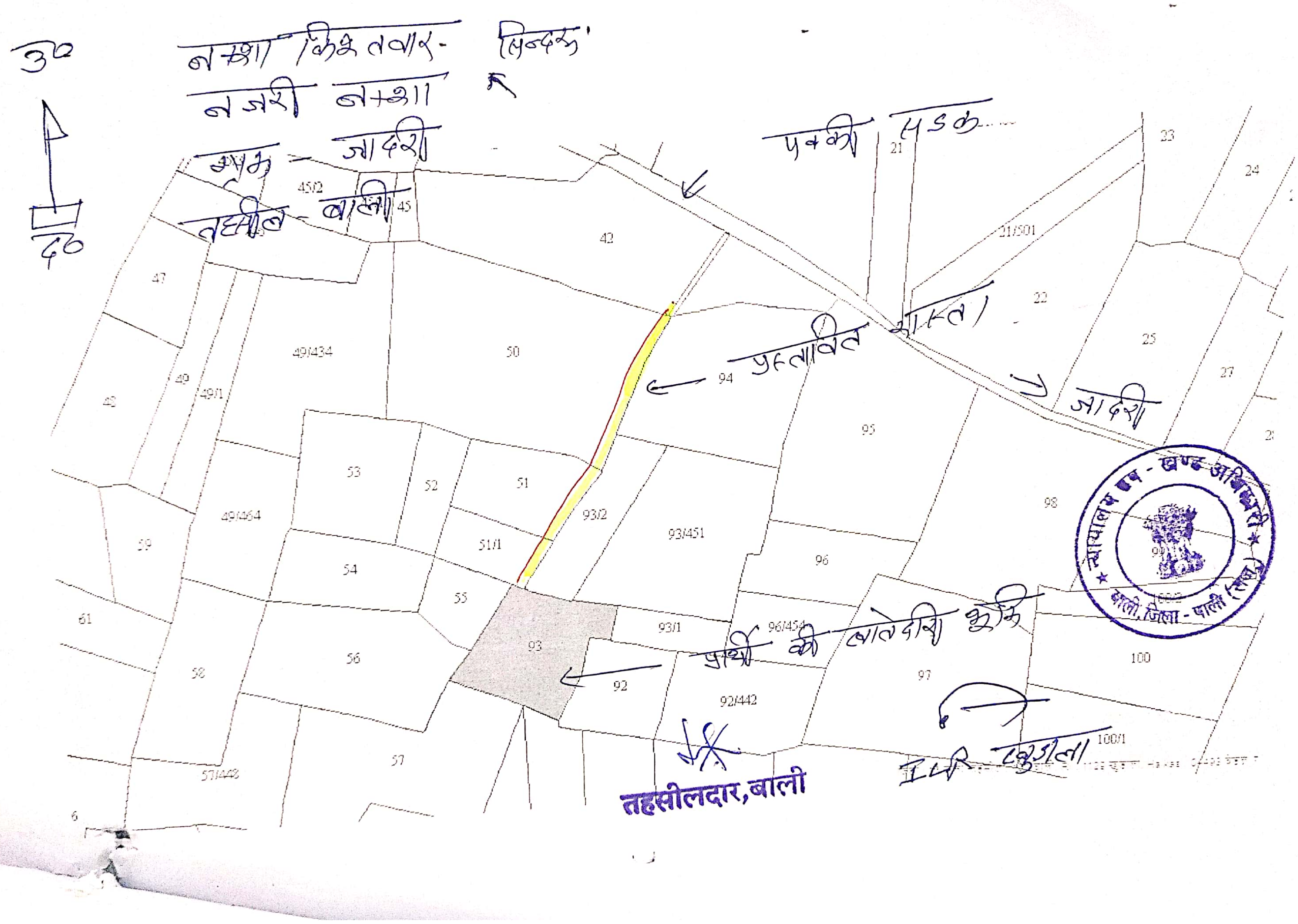

Scanned with CamScanner